संख्या-07/2024/137/52-4-2024-बजट(14)/2017

प्रेषक,

हरि बख्श सिंह

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक अप्रैल, 2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उ0प्र0 राज्य हज समिति अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-56/अ0सं00क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/ 2024-25, दिनांक 02-04-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उ0प्र0 राज्य हज समिति अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-048 के लेखाशीर्षक-2250-800-03 के मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष प्रथम तिमाही (अप्रैल-2024 से जून, 2024 तक) के लिए रू0 25.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रू0 में।

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2024-25 मे प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	100.00	25.00
योग	**100.00**	**25.00**

(रू0 पच्चीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(2)-उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग नई मदों/ सेवाओ पर व्यय के लिए नहीं किया जायेगा।

(3)- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर -12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस आफॅ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)-धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जायेगा तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)-जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ, वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(8)-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(9)-उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किय जायेगा। उक्त से बिचलन की स्थिति वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए सचिव/ कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-048 के लेखाशीर्षक 2250- अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति के अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, **दिनांक: 04..03.2024 में दी गई व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-137(1) /52-4-2024-बजट(14)/2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3-सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-1 उ0प्र0 शासन
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।